अपील सूचना अधिकार संख्या 105/2020 (RCMS 2020/00176) उम्मेद सिंह निवासी वार्ड नं. 1, अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर (मो. 92835-13750) बनाम उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़

28.10.2020

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उम्मेद सिंह स्वयं उपस्थित नहीं है। **पत्रावली का अवलोकन किया** तो पाया कि अपीलार्थी ने लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2020 प्रस्तुत करके सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे समय पर उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचनाएं उपलब्ध करवाने की प्रार्थना की है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी उम्मेद सिंह ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 15.07.2020 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थी :

1. आपके कार्यालय में दिनांक 09.03.2020 को प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत शिकायत प्रार्थना पत्र अनुलग्नकों सहित भेजा गया था, उक्त पत्र एवं अनुलग्नकों सहित प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।
2. उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र दिनांक 09.03.2020 पर की गई कार्यवाही/प्रगत रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।
3. श्री हरि सिंह पुत्र चरण सिंह को आवास गृह एवं गोदाम से बेदखल करने की कार्यवाही की प्रमाणित उपलब्ध करवायें।
4. श्री हरि सिंह पुत्र चरण सिंह से किराया वसूली करने के लिए पेंशन विभाग को लिखे गये पत्र की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

5. सेवानिवृत कर्मचारी अपनी सेवानिवृति के पश्चात कितने समय तक राजकीय गोदाम एवं आवासगृह में रह सकता है, की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।
6. राजकीय हित में उक्त प्रकरण से संबंधित की गई निष्पक्ष कार्यवाही की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवायें।

पत्रावली के अवलोकन से यह भी पाया कि इस न्यायालय के पत्रांक सीजी/वाचक/20/1115 दिनांक 08.09.2020 से उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ से अपील पत्र के सम्बन्ध में टिप्पणी एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड चाहा गया था, परन्तु उनके द्वारा उक्त अपील का कोई जवाब प्रेषित नहीं किया गया है और न ही आवेदन के प्रार्थना पत्र दिनांक 15.07.2020 द्वारा चाही गई सूचनाओं पर कोई उत्तर दिया गया है जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7 में निम्न प्रकार से प्रावधान हैः

<u>धारा 7 अनुरोध का निपटारा</u> : (1) धारा 5 की उप धारा (2)के परंतुक या धारा 6 की उप–धारा (3) के परंतुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, या राज्य लोक सूचना अधिकारी यथा संभव शीघ्रता से और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विर्निदिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा।

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी।

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलार्थी के धारा 6(3) के प्रार्थना पत्र पर कोई सूचना दिये जाने अथवा न दिये जाने के सम्बन्ध में कोई निर्णय नहीं लिया है जबकि धारा 7(1) के तहत 30 दिवस में निर्णय लिया जाना आवश्यक हैं इसलिए प्रार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है और **लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को मामला इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि** अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनाओं के सम्बन्ध में 10 दिवस में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के तहत निर्णय किया जावे। **आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ़ को पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमी़ल दाखि़ल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 28.10.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(महावीर प्रसाद वर्मा)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर